

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर०)

दांडिक अपील क्रमांक: 208/2016
संस्थित दिनांक-24/08/2016
फाइलिंग नंबर- 3011802016

श्रीमती चमेली बाई पत्नी रामलखन कुशवाह
आयु 38 साल निवासी हरिदयालपुरी थाना मौ
परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.....अपीलार्थी/फरियादिया
वि रु द्ध

रामदास पुत्र मुलूसिंह कुशवाह आयु 43 साल
निवासी मिल्ली पट्टी थाना मौ
परगना गोहद जिला भिण्डप्रत्यर्थी/आरोपी

अपीलार्थी/फरियादिया द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/आरोपी द्वारा श्री बी० एस० यादव अधिवक्ता

न्यायालय-श्री गोपेश गर्ग, जे०एम०एफ०सी० गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-562/2013 ई०फौ० में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 08/07/2016 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **26 दिसंबर 2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/फरियादिया ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-372(3) द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री गोपेश गर्ग द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 562/2013 ई०फौ० निर्णय दिनांक-08/07/2016 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा०द०वि० के अपराध से दोषमुक्त किया गया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है, कि आरोपी रामदास और फरियादिया चमेली एक ही कुटुम्ब ही होकर आपस में रिश्तेदार है तथा उनके खेत पास-पास में है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-06/08/2013 को फरियादी चमेली अ०सा०-01 अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी आरोपी रामदास आया और गाली देते हुए बोला कि आज तुझे देखता हूं और रामदास ने उसे उठाकर पटक दिया, तथा कुल्हाड़ी के बेंट उसके शरीर में मारे जिससे उसकी पीठ में मुंटी चोट आई, और उसको बाएं हाथ में चोट आई, जिसका खरोंच का निशान है, जब वह चिल्लाई तो मौके पर रचना अ०सा०-02

रामा अ0सा0-03 आ गई तथा रामदास जाते वक्त कह रहा था, कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा, तत्पश्चात फरियादिया चमेलीबाई अ0सा0-01 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 दर्ज कराई जिस पर आरोपी के विरुद्ध अप0क्रं0-152/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा0द0वि0 का आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर उसने आरोपों से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी/अपीलार्थी रामदास को धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा0द0वि0 के अपराध में दोषमुक्त किया गया। जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. आहत/अपीलार्थी श्रीमती चमेली बाई की ओर से दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया है, कि प्रकरण में फरियादिया के द्वारा घटना का समर्थन किया गया था, चक्षुदर्शी साक्षी रचना अ0सा0-02 ने भी अभियोजन कथान का समर्थन किया था, उसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/प्रत्यर्थी रामदास को दोषमुक्त करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि फरियादी की चोटों का डाक्टर आर0 विमलेश द्वारा भी चिकित्सकीय परीक्षण करते हुए, कथानक का समर्थन चिकित्सकीय अभिमत के आधार पर किया था, फरियादिया परदानशी और ग्रामीण महिला है, इस कारण अकेले थाने रिपोर्ट के लिए नहीं जा सकी थी, और उसका पति घर पर नहीं था, पति के आने के पश्चात रिपोर्ट करने को गई थी, इसलिए एफ0आई0आर0 लिखाने में बिलंब का समुचित कारण था, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय अपास्त किया जाकर, आरोपी/प्रत्यर्थी रामदास को धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जावे, इसी अनुरूप फरियादिया/अपीलार्थी चमेली बाई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क भी किया गया है।
6. प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-
 - 1- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 562/13 ई0फों में घोषित दोषमुक्ति का निर्णय दिनांकित 08/07/16 विधि विधान के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?
 - 2- क्या आरोपी/प्रत्यर्थी धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाकर दण्डित किए जाने योग्य है, यदि हां तो कितना ?

-:- **निष्कर्ष के आधार** -:-
7. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. प्रत्यर्थी/आरोपी रामदास की ओर से नियुक्त अभिभाषक ने अपने अंतिम तर्कों में मूलतः यह बताया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

विधि, विधान एवं साक्ष्य के अनुरूप है और अपराध झूठा दर्ज हुआ था, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील केवल रंजिश के आधार पर पेश की है, जिसमें कोई विधिक बल नहीं है, इसलिए अपील को निरस्त किया जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया, अपील ज्ञापन में उठाए बिन्दुओं एवं तर्कों पर चिंतन मनन किया गया, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि दण्डिक अपील के निराकरण करते समय अपीलीय न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ़ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ़ रामगोपाल 2006 फ़र्स्ट विधि भास्कर (एस0सी0) पेज-01 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील में मूल प्रकरण में आई साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय का अध्ययन करने पर यह विदित है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आहत/अपीलार्थी श्रीमती चमेली बाई अ0सा0-01 एवं रचना अ0सा0-02 जो कि चमेली बाई की पुत्री है, उसे अविश्वसनीय साक्षी ठहराते हुए, तथा एफ0आई0आर0 प्र0पी0-03 को बिलंबित मानकर संपूर्ण कथानक को संदिग्ध पाते हुए, आरोपी/प्रत्यर्थी रामदास की विरचित आरोप धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा0द0वि0 में दोषमुक्ति की गई है। उक्त दण्डिक अपील आहत/अपीलार्थी की ओर से धारा-372(3) दं0प्र0सं0 के तहत दोषमुक्ति के विरुद्ध संशोधित प्रावधान के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसे अंतिम सुनवाई हेतु पंजीबद्ध किया गया है।

11. मूल अभिलेख के मुताबिक अभियोजन का मामला इस प्रकार का रहा था, कि श्रीमती चमेलीबाई घटना दिनांक 06/08/13 को दिन के करीब 12 बजे अपने घर के बाहर खड़ी थी, तब प्रत्यर्थी/आरोपी रामदास ने आकर उसे गाली देते हुए कहा, कि मादरचोद की आज तुझे देखना है और उसे उठाकर पटक दिया, तथा कुल्हाड़ी का बेंट शरीर में मारा जिससे उसे शरीर में मुंदी चोटें आई, चिल्लाने पर उसकी पुत्रीयां रचना और रामा आ गई थीं, जिन्होंने घटना देखी थी एवं आरोपी/प्रत्यर्थी रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी देते हुए चला गया, पति के आने के बाद उसने पति रामलखन के साथ थाना मौ जाकर घटना की रिपोर्ट शाम 06:30 बजे उक्त दिनांक को ही कराई थी, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में एफ0आई0आर0 को विलंबित माना है, जिसके संबंध में चमेली बाई अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तर्कों मुताबिक यदि यह माना जाए कि पति नहीं था और पति के आने पर रिपोर्ट को गई, तो प्रकरण में फरियादिया का पति महत्वपूर्ण साक्षी था, जिसे अभियोजन ने साक्षी के तौर पर विचारण में पेश नहीं किया, न ही उसे अनुसंधान में साक्षी बनाया, पति कब आया, इसके बारे में भी फरियादिया श्रीमती चमेली अ0सा0-01 ने कोई जानकारी नहीं दी है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की कण्डिका 18 का एफ0आई0आर0 विलंबित होने और उसका कोई स्पष्टीकरण न होने के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष उचित होकर पुष्टि योग्य है।

12. जहां तक मूल कथानक के संबंध में पेश की गई साक्ष्य का प्रश्न

है, धारा-294 भा0द0वि0 के अपराध के लिए जिन तथ्यों का प्रमाणित होना आवश्यक है, उसमें घटनास्थल सार्वजनिक स्थल होना चाहिए, उच्चारित शब्द अश्लीलता की श्रेणी में आने चाहिए जिससे सुननेवालों को क्षोभ कारित हो, जबकि एफ0आई0आर0 प्र0पी0-01 और श्रीमती चमेली बाई के पुलिस कथन प्र0डी0-01 में उसके घर के बाहर घटना होना बताया गया है, जबकि प्र0डी0-02 का जो नक्शा मौका बनाया था, उसमें घटनास्थल खेत की मेड़ को दर्शाया है, ऐसे में सर्वप्रथम घटनास्थल के बारे में ही संदेह है और घटनास्थल सार्वजनिक स्थल की श्रेणी में भी नहीं आता है, ऐसे में धारा-294 भा0द0वि0 के प्रमाण हेतु आवश्यक अवयवों का प्रकरण में अभाव है। वहीं दूसरी ओर जहां तक जान से मारने की धमकी देने के संबंध में धारा-506 भाग-2 का प्रश्न है, जिसके प्रमाणन हेतु इस आशय की साक्ष्य की विधिक अपेक्षा होती है, कि धमकी वास्तविक होनी चाहिए और उससे पीड़ित को भय कारित होना भी परिस्थितियों से दर्शित होना चाहिए, इस संबंध में फरियादी श्रीमती चमेली बाई अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में धमकी के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया है, तथा उसकी पुत्रीयां रचना अ0सा0-02 और रामा अ0सा0-03 जिन्हें घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है उन्होंने भी अपने अभिसाक्ष्य में इस बारे में कुछ नहीं बताया है, बल्कि उनके मुताबिक तो वे बाद में पहुंची, तथा एफ0आई0आर0 प्र0पी0-01 में विलंब का कारण आरोपी से भयभीत हो जाना भी उल्लेखित नहीं है, न ही किसी साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य दिया है, कि जो धमकी आरोपी/प्रत्यर्थी रामदास द्वारा दी जाना बताई है, वह वास्तविक थी, और उससे कोई भय उत्पन्न हुआ था, ऐसे में धारा-506 भाग-02 भा0द0वि0 के प्रमाण के लिए भी साक्ष्य का अभाव है, इसलिए उक्त दोनों आरोपों के संबंध में की गई दोषमुक्ति उचित होकर पुष्टि योग्य है।

13. जहां तक स्वेच्छा साधारण उपहतियां कारित करने का प्रश्न है, इसके संबंध में श्रीमती चमेली बाई अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि खेत के पीछे विवाद हुआ था और उसने भूमि पर तार लगाने से रोका था, तो छः लोगों ने उसे पकड़ लिया था, और रामदास ने उसे कुल्हाड़ी के बट से मारा था, जिससे उसकी जांघ और बाएं हाथ में चोटें आई थीं, वह बाएं हाथ की हड्डी टूट जाना व तार से हाथ फट जाना भी बताती है, उसकी दोनों पुत्रियां अ0सा0-02 और अ0सा0-03 भी छः लोगों के द्वारा मां चमेली के साथ घटना कारित करना कहती है तथा सभी लोगों का भाग जाना बताया है, और यह भी कहा है, कि जब वह पहुंची तो उनकी मां बेहोश थी और उसकी मां को बाल पकड़कर समस्त लोग ले गए थे, रामा अ0सा0-03 ने कटीली बाड़ में चमेली को घसीटना भी कहा है।

14. अभिलेख पर जो मेडीकल साक्ष्य है, उनमें डाक्टर आर0 विमलेश अ0सा0-04 के द्वारा दाहिनी जांघ में दर्द की शिकायत पाना तथा बाजू में खरोंच की चोट पाना जो किसी खुरदुरी वस्तु से आना बताई है और कोई चोट नहीं बताई है, ऐसे में चोटों के संबंध में मौखिक साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य में भिन्नता है, तथा रचना अ0सा0-02 को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, जबकि वह न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बाद में पहुंचना कहती है, तब उसकी मां बेहोश थी, इसके बावजूद अभियोजन द्वारा उक्त साक्षिया को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं चाही तथा धमकी के संबंध में अ0सा0-02 और अ0सा0-03 के अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य नहीं आए, उसके उक्त बिन्दु पर उन्हें

पक्षविरोधी घोषित न करना अभियोजन पर बंधनकारी प्रभाव रखता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत राकेश विरूद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2005 भाग-2 एम.पी. डब्ल्यू.एन. शॉर्ट नोट-46 में प्रतिपादित है, तथा जो कथानक बताया गया है एवं अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य जो तथ्य आए हैं, उसमें उनके द्वारा अतिरंजतापूर्ण अभिसाक्ष्य दिया जाना परिलक्षित होता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता संदेह की परिधि में आ जाती है, क्योंकि एफ0आई0आर0 में छः लोगों द्वारा घटना में शामिल होने का कोई तथ्य नहीं है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-03 को विश्वसनीय साक्षी न होने निष्कर्षित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, और जो चोटें श्रीमती चमेली को चिकित्सकीय साक्ष्य मुताबिक आई है, वह झाड़ी में गिरने से भी संभाव्य है, जैसा कि डाक्टर आर0 विमलेश अ0सा0-04 ने सुझाव में स्वीकारा है, ऐसे में विवेचक अ0सा0-05 बालकृष्ण कटारे के अभिसाक्ष्य से कोई आरोप प्रमाणित होना संभव ही नहीं है, ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत और साक्ष्य आधारित है, इसलिए अपील ज्ञापन में उठाए गए बिन्दु और लिए गए आधार कोई विधिक बल नहीं रखते हैं, परिणामस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाई जाती है, फलतः प्रस्तुत दाण्डिक अपील निरस्त करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की पुष्टि की जाती है।

15. प्रकरण में निराकरण के लिए कोई सम्पत्ति जब्त नहीं है।
16. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जावे।

दिनांक: 26 दिसंबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड